न्यायालयः– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना जिला डीडवाना कुचामन

पीठासीन अधिकारी :– रूपेन्द्र चौहान, आर.जे.एस.
नियमित अपराधिक प्रकरण संख्या :– 241/2021
सी.आई.एस.सं. :– 241/2021

राजस्थान राज्य

–अभियोगी

बनाम

सोनम कंवर पत्नी महासेन सिंह शेखावत पुत्री रामसिंह राठौड़ उम्र 35 वर्ष निवासी हाल पीहर बरवाली थाना मकराना जिला डीडवाना कुचामन।

–अभियुक्ता

अपराध अन्तर्गत धारा 182 भारतीय दंड संहिता

उपस्थितिः–
1. राज्य की ओर से :– विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी।
2. अभियुक्ता की ओर से :– विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह चौहान।

–::निर्णय::– **दिनांकः–27.03.2026**

1. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 24.07.2017 को पुलिस थाना मकरना की ओर से इस्तगाशा अंतर्गत धारा 211 भारतीय दण्ड संहिता के तहत मुख्य रूप से इस आशय की पेश की गयी है कि प्रार्थियां श्रीमति सोनम कंवर द्वारा पुलिस थाना मकराना में एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की दी गयी की उसने विवाह महासेन के साथ तय हुआ एवं दिनांक 25.03.2013 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दस्तुर कार्यक्रम हुआ जिसमें 31 हजार रूप्ये पति को एक सोने की चैन, सोनें की अंगुठी, नारियल ससुर को सोने की अंगुठी व पूरे परिवार को कपड़े दिये गये। जिसमें लगभग ढाई तीन लाख रूपये खर्च हुये। उसकी सास पूर्व से ही बी.पी, हाईपर टेंशन हार्ट की बीमारी से वह सगाई के समय जयपुर में कोचिंग कर रही थी। उस समय वह सास से मिलने जाती रहती थी व मोबाईल पर बात होती रहती थी। उसकी सास द्वारा शादी की जिद की गयी जिस पर उसका विवाह दिनांक 17.02.2014 को तय हुआ तत्समय उसकी सास काफी बीमार थी। उसके परिवार वालों ने विवाह काफी बढ चढकर किया। जिसमें 35 लाख रूप्ये का खर्चा हुआ। प्रार्थी की शादी में विदाई से पूर्व ही उसके ससुर व गांव वालों ने काफी हंगामा किया व कहा गया कि दहेज कम दिया गया है। मारूति स्वीफट कार की मांग की गयी। तत्समय उसके पिता ने 70 हजार रूपये नगद व मोटरसाईकिल के लिये प्रदान किये दिनांक 15.02.2014 को इस की विदाई से पूर्व ही उसकी सास की मृत्यु हो गयी जब वह अपने ससुराल गयी तब उसके ससुराल वालों ने उसे ताने मारने प्रारंभ कर दिया कि वह मनुष है व दहेज में स्वीफ्ट कार की मांग की गयी जो

नही दी गयी। व इस हेतु निरंतर उसके साथ में प्रताड़ना व गाली गलौच की गयी। उसका देवर उस पर बुरी नियत रखता व अशलील हरकते करता था। जून 2014 में उसके पीहर वाले उसे लेने आये तब उसने बात बतायी तो उसके ससुर व देवर ने उसे घर वाले के साथ भेज दिया। मार्च 2015 में उसके पति छुटिटयों पर आये जो अप्रैल 2015 में चले गये। दिनांक 08.05.2015 को उसका भाई घर उसे ले गया। उस दिन उसके जेवर उसके ससुर ने मांगे जो उसे देने से मना कर दिया। इसके बाद उसके द्वारा स्त्रीधन की मांग की गयी लेकिन स्त्रीधन वापस नहीं लौटाया गया।–––––इत्यादि।

2. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना मकराना के द्वारा किये गये अनुसंधान के पश्चात प्रकरण में रिपोर्ट को झूंठा मानते हुये नतीजा पेश किया गया है। प्रार्थियां द्वारा प्रकरण झूंठा व निराधार होने के बावजूद प्रकरण दर्ज करवाया है। इस आधार पर प्रार्थियां के विरूद्ध धारा 211 दण्ड प्रक्रिया संहिता के आरोप प्रमाणित पाये जाने के हस्तगत इस्तागाशा पेश होने पर अभियुक्ता श्रीमति सोनम कंवर पत्नी महासेन के विरूद्ध दिनांक 17.03.2021 को अंतर्गत धारा 182 भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाकर अभियुक्ता को तलब किया गया एवं अभियुक्ता के उपस्थित आने पर उक्त धारा में आरोप मौखिक रूप से सुनाये गये जिनको सुनकर अभियुक्ता द्वारा आरोप से इंकार किया गया।

3. साक्ष्य अभियोजन में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड. 01 गोमाराम, पी.ड 02 उदयलाल, पी.ड 03 इन्द्रराज मरोडिया के बयान लेखबद्ध कराये गये तथा दस्तावेजी में आर्डर शीट की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–1, इस्तगाशा प्रदर्श पी–2, एफ.आर प्रदर्श पी–3, रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 को प्रदर्शित करवाय गया।

4. अभियुक्तता का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.स. किया गया तो उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया तथा झूठा फंसाये जाने का कथन किया एवं साक्ष्य सफाई पेश करने से इंकार किया।

5. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्ता की ओर से यह तर्क रहे है कि अभियुक्ता द्वारा अपने पति व ससुराल पक्ष के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाया था परंतु उभयपक्षों के मध्य राजीनामा होने से आगे कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अभियुक्ता द्वारा जान बुझकर गलत तथ्यों के आधार पर प्रकरण दर्ज नहीं करवाया है व इन आधारों पर अभियुक्ता को दोषमुक्त घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी।

6. अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त तर्कों का खण्डन करते हुए यह कथन किये गये है कि अभियुक्ता द्वारा जानबुझकर झूठे तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज करवाया है। जिससे लोक सेवक द्वारा की गयी कार्यवाही भी व्यर्थ हुयी है व इन आधारों पर अभियुक्ता को दोषसिद्ध घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी।

7. उभय पक्ष के तर्कों, तथ्यों पर विचार किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि:–

(1) क्या अभियुक्ता ने दिनांक 05.08.2016 को अभियुक्ता द्वारा लोक सेवक थानाधिकारी मकराना को झूठी रिपोर्ट किसी अन्य को क्षति कारित करने के आश्य से दी गई जो बाद अनुसंधान झूठी पाई गई ?

(2) यदि हां तो समुचित दण्ड क्या होगा?

8. अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश की गयी है में गवाह पी.ड 1 गोमाराम द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये गये है कि परिवादीया सोनम कंवर ने तत्कालिन थानाधिकारी इन्द्रराज मरोड़िया थाना मकराना के समक्ष क्रूरता व आपराधिक न्यासभंग तथा मारपीट बाबत् एक रिपोर्ट पेश की थी। थानाधिकारी इन्द्रराज मरोडिया द्वारा प्रारम्भिक अनुसंधान किया जाकर उदयलाल एस.आई. द्वारा प्रकरण में नतीजा एफ.आर. अदम वकू झूठ में दिया गया था। न्यायालय में एफ.आर. पेश होने पर प्रार्थीया द्वारा स्वीकार की गई जिसकी ऑर्डरशीट की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–1 है। एफ.आर. स्वीकृत होकर पत्रावली थाने पर प्राप्त होने पर उसके द्वारा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् श्रीमती सोनम कंवर गैर सायल के विरूद्ध धारा 211 भा.दं.सं. का इस्तगासा पेश किया था जो प्रदर्श पी–2 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह के कथन रहे है कि कहना सही है कि उक्त पत्रावली में सोनम कंवर व अन्य गवाहान के 161 सी.आर.पी.सी के बयान नहीं है। सोनम कंवर के विरूद्ध इसके अलावा अन्य कोई प्रकरण है या नहीं वह रिकोर्ड देखकर बता सकता है। यह कहना सही है कि सोनम कंवर द्वारा मुकदमा पति व उसके परिवार वालों के खिलाफ करवाया गया था। सोनम कंवर द्वारा किए गए मुकदमें का अनुसंधान उसके द्वारा नहीं किया गया इसलिए उसके द्वारा सोनम कंवर व उसके पति व ससुराल वालो के बीच कांउसलिंग नहीं करवाई थी। यह कहना सही है कि दहेज संबंधी मामलों में काउंसलिंग करवाते है। यह कहना सही है कि जिन मामलों में काउंसलिंग होने पर दोनो पक्षों में राजीनामा होने पर उक्त प्रकरण में एफ.आर. लगा दी जाती है। एफ. आर. लगाने के बाद माननीय न्यायालय में उक्त एफ.आर. को मंजूर करना या नहीं करना परिवादी का स्वयं का अधिकार है। यह कहना सही है कि परिवादी स्वयं माननीय न्यायालय से एफ.आर. विड्रो करती है तो उसमें कोई गलत नहीं है। यह कहना सही है कि सहमति से अगर कोई प्रकरण विड्रो करता है तो यह नहीं कहां जा सकता कि उसने गलत कार्यवाही की है, अज खुद कहा उपरोक्त प्रकरण में अनुसंधान से प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्य झूठे पाये थे। यह कहना सही है कि उपरोक्त प्रकरण में लिए गये गवाहों के बयान का भी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। यह कहना सही है कि उक्त प्रकरण में प्रकरण सं 245/16 की पर्चा एफ.आई.आर पत्रावली में सलंग्न नहीं है, तहरीरी रिपोर्ट सलंग्न है। यह कहना सही है कि सोनम कंवर के पति व उसके पति द्वारा सोनम के विरूद्ध झूठी कार्यवाही करने संबंधी कोई रिपोर्ट पेश नहीं की। सोनम कंवर व उसके पति व ससुराल वाले आज एक साथ रह रहे हो तो वह नहीं बता सकता

9. गवाह पी.ड 2 उदयलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 05.08.2016 को पुलिस थाना मकराना पर एस.आई. के पर तैनात था। उस दिन प्रकरण संख्या 245/16 धारा 498ए, 406, 323, 504, 354 बी परिवादीया श्रीमती सोनम कंवर द्वारा दर्ज कराया गया था जो एस.एच.ओ. इन्द्रराज मरोड़िया ने दर्ज किया था। उनके स्थानान्तरण पर इसी माह में पत्रावली उसे तफ्तीश हेतु सूपूर्द की गई। गवाह सोनम कंवर, संतोष कंवर, रामसिंह, लक्ष्मणसिंह के बयान 161 द.प्र.सं लेखबद्ध किये गये। दौराने अनुसंधान परिवादीया सोनम कंवर ने लिखित रिपोर्ट पेश की थी कि उसके द्वारा दर्ज कराये गये प्रकरण में वह कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। प्रकरण तफ्तीश से अदम वकू झूठ का पाये जाने पर अदम वकू झूठ में श्रीमान् एस.पी. साहब से एफ.आर. आदेश प्राप्त किये गये व एफ.आर. न्यायालय में पेश की जो प्रदर्श पी 3 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

एफ.आर. स्वीकृत होने पर परिवादीया श्रीमती सोनम कंवर के खिलाफ इस्तगासा अन्तर्गत धारा 211 भा.दं.सं. में पेश किया गया। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह के कथन रहे है कि यह कहना सही है कि उक्त पत्रावली में 161 दं.प्र.सं के कोई भी बयान उपलब्ध नहीं है। परिवादीया सोनम व उसके ससुराल वालों के बीच राजीनामा हुआ या नहीं हुआ उसे पता नहीं है। यह कहना सही है कि पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट आती है तो परिवादी व मुल्जिमान को बैठाकर राजीनामा की बातचीत करवाई जाती है। यह कहना सही है कि परिवादी व मुल्जिम थाने में राजीनामा कर ले तो कोई गलत बात नहीं है। यह कहना सही है कि सोनम कंवर के ससुराल वालों ने सोनम कंवर के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं दी कि सोनम ने उनके खिलाफ झूठा मुकदमा किया। यह कहना सही है कि थाने द्वारा कोर्ट में एफ.आर पेश करने पर राजीनामे के आधार पर परिवादी एफ.आर. स्वीकार करे तो कोई गलत बात नहीं है।

10. गवाह पी.ड 3 इन्द्रराज मरोडिया ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 5.08.2016 को पुलिस थाना मकराना में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन गैर सायल श्री श्रीमती सोनम कंवर निवासी बरवाली ने एक रिपोर्ट अपने पति व ससुराल पक्ष के देवर, ननद व ससुर के विरूद्ध दहेज प्रताड़ना की पेश की थी जिस पर उसके द्वारा एफ.आई.आर. नंबर 245/2016 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। दौराने अनुसंधान गवाहान के बयान लेखबद्ध किये गये। इसी दौरान गैर सायल परिवादीया द्वारा एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि वह इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहती है, गैर सायल परिवादीया द्वारा पेश कार्यवाही नहीं चाहने की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 है जिस पर ए से बी गैर सायल सोनम कंवर के हस्ताक्षर है तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर तथा इ से एफ कार्यवाही पुलिस का पृष्ठांकन है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह के कथन रहे है कि यह कहना सही है कि सामान्यतः दहेज प्रताड़ना के कैस में ससुराल पक्ष के अधिकतम लोगों के नाम लिखे होते है। यह कहना सही है कि परिवादी व अभियुक्तगण के बीच राजीनामा होने पर सामान्यतः एफ.आर. लगाई जाती है। यह कहना सही है कि पति पत्नी पारिवारिक विवाद की रिपोर्ट प्राप्त होने पर काउंसलिंग करवाई जाती है। यह कहना सही है कि काउंसलिंग पति पत्नी का घर बसा रहे इसलिए करवाई जाती है। यह कहना सही है कि काउंसलिंग से दोनो पक्षों में राजीनामों होना गलत नहीं है। यह कहना सही है कि दोनो पक्षों में राजीनामा होने पर कार्यवाही नहीं चाहने के कारण प्रकरण की कार्यवाही में नतीजा एफ.आर दिया जाता है। यह कहना सही है कि सोनम कंवर के ससुराल पक्ष के द्वारा उसके समक्ष सोनम कंवर के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं दी थी।

11. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित हो रहा है कि हस्तगत प्रकरण में तथाकथित रूप से अभियुक्ता सोनकी कंवर द्वारा एक झूठी रिपोर्ट पुलिस थाना मकरना इस आशय से दी गयी कि किसी अन्य व्यक्ति को क्षति या नुकसान पहुंचाया जा सके। इस बिंदू के संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित हो रहा है कि प्रकरण का उदभव इस्तगासा प्रदर्श पी 2 के आधार पर हुआ है। जिनमें मुख्य रूप से यह कथन किये गये है कि सोनकी कंवर द्वारा पुलिस थाना मकराना में उपस्थित होकर स्वयं के पति, देवर व ससुराल पक्ष के व्यक्तियों के विरूद्ध इस आशय का इस्तगासा पेश किया गया है कि उनके द्वारा दहेज की मांग को लेकर शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया एवं उसके देवर द्वारा उसके साथ अशलील हरकत भी

की गयी। पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित हो रहा है कि प्रदर्श पी 4 के रूप में श्रीमति सोनकी कंवर द्वारा प्रस्तुत मूल रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया है जिसके अवलोकन से यह दर्शित हो रहा है कि उक्त रिपोर्ट में सोनकी कंवर द्वारा स्वयं के ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा उसके साथ दहेज की मांग को लेकर शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ना दिया जाना बताया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित हो रहा है कि उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना मकराना में दर्ज प्रकरण संख्या 245/2016 अंतर्गत धारा 498ए, 406, 323, 504 354बी भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर बाद अनुसंधान दिनांक 16.02.2016 को अंतिम प्रतिवेदन अदम वक्वा झूंठ के तहत पेश किया गया। पत्रावली पर प्रकरण के नतीजे को प्रदर्श पी 3 एवं न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत होने पर स्वीकार होने की आदेशिका को प्रदर्श 1 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहन में गवाह पी.ड 1 गोमाराम इस्तगासा प्रदर्श पी 2 प्रस्तुतकर्ता है। जिसने स्वयं की मुख्य परीक्षा में यह कथन किये है कि परिवादिया सोनम कंवर द्वारा पुलिस थाना मकराना में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर नतीजा पेश किया गया। जिसकी आर्डरशीट प्रदर्श पी 1 है व इस्तगासा प्रदर्श पी 2 है। इसी प्रकार गवाहन पी.ड 3 इन्द्रराज मरोड़िया तत्कालीन थानाधिकारी के रूप में न्यायालय में उपस्थित हुये है। उक्त गवाह द्वारा भी स्वयं की मुख्य परीक्षा में अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन करते हुये कथन किये गये है कि उसके द्वारा प्रकरण संख्या 245/2016 में में अनुसंधान प्रार्थी या गवाहों के बयान लेखबद्ध किये गये एवं इसी दौरान गैर सायल परिवादिया द्वारा एक लिखित रिपोर्ट पेश कर यह कथन किये गये थे कि वह प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 है। इसी प्रकार गवाह पी.ड 2 उदयलाल द्वारा स्वयं की मुख्य परीक्षा में कथन किये गये है कि पूर्ववर्ति अनुसंधान अधिकारी इन्द्रराज मरोड़िया का स्थानांतरण होने के पश्चात उसके द्वारा प्रकरण में अनुसंधान किया गया बयान लेखबद्ध किये गये एवं संपूर्ण तफतीश के पश्चात प्रकरण में मामला अदम वक्वा झूठ के तहत पाये जाने पर एफ.आर. प्रदर्श पी 3 प्रस्तुत की गयी उक्त सभी गवाहन से बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में यह प्रश्न पूछे गये है कि दहेज के प्रकरण में राजीनामा हो जाने पर एफ.आर प्रस्तुत की जाती है व हस्तगत प्रकरण में राजीनामा होने के आधार पर नतीजा दिया गया परंतु इस प्रकार का कोई भी राजीनामा आदि बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही बचाव पक्ष की ओर से जिन व्यक्तियों से राजीनामा किया गया को ही स्वयं की साक्ष्य सफाई में प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित हो रहा है कि अभियुक्ता सोनम कंवर के बयान मुलजिम में अभियुक्ता द्वारा स्वयं को संरक्षित होने व झूठा पाये जाने के कथन किये है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी दशा में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह दर्शित हो रहा है कि अभियुक्ता द्वारा यह जानते हुये कि उसके द्वारा झूठी रिपोर्ट दी जा रही है के बावजूद स्वयं के ससुराल पक्ष के व्यक्तियों के विरूद्ध रिपोर्ट इस आशय से दी गयी की लोक सेवक उनके विरूद्ध कार्यवाही करें एवं इन आधारों पर अभियोजन पक्ष अभियुक्ता के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 182 दण्ड प्रक्रिया संहिता संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। जिस आधार पर उक्त धारा में अभियुक्ता को दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित है।

–आदेश–

12. परिणामस्वरूप अभियुक्ता सोनम कंवर पत्नी महासेन सिंह शेखावत पुत्री रामसिंह राठौड़ उम्र 35 वर्ष निवासी हाल पीहर बरवाली थाना मकराना जिला डीडवाना कुचामन को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 182 भादस में दोषसिद्ध किया जाता है।

(रूपेन्द्र चौहान)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मकराना जिला डीडवाना कुचामन।

<u>दण्ड पर सुनवाई एवं दण्डादेश</u>

13. सजा के बिन्दु पर सुना गया। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये है कि अभियुक्ता द्वारा स्वयं के परिवारजन के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाया गया जिन पर बाद में राजीनामा हो गया है। अभियुक्ता एक आदतन अपराधी नहीं है। पूर्ववर्ति कोई दोषसिद्धि का भी प्रमाण पत्रावली पर नहीं है एवं इस आधार पर अभियुक्ता को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने की प्रार्थना की गयी।

14. अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये अभियुक्ता को तत्कालीन कारावास से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी।

15. उभयपक्षों की ओर से दिये गये तर्कों के संबंध में पत्रावली किया गया जिससे दर्शित हो रहा है कि अभियुक्ता को धारा 182 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध किया गया। अभियुक्ता द्वारा स्वयं के ससुराल पक्ष के ही विरूद्ध प्रकरण दर्ज करवाया था जिसमें तथाकथित रूप से राजीनामा होना बताया गया है। अभियुक्ता एक महिला है एवं अभियुक्ता के विरूद्ध पूर्ववर्ति दोषसिद्धि के प्रमाण पत्रावली पर नहीं है। ऐसी दशा में अभियुक्ता को तत्कालीन कारावास से दण्डित किये जाने के स्थान पर उसे परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित दर्शित हो रहा है।

–दण्डादेश–

16. अतः अभियुक्ता सोनम कंवर पत्नी महासेन सिंह शेखावत पुत्री रामसिंह राठौड़ उम्र 35 वर्ष निवासी हाल पीहर बरवाली थाना मकराना जिला डीडवाना कुचामन को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 182 भादस में दोषी करार दिये जाने पर उसे तत्काल किसी कारावास की सजा या अर्थदण्ड से दण्डित नहीं किया जाकर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 का लाभ दिया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त 10,000/–रूपये अक्षरे दस हजार रूपये राशि का स्वयं का मुचलका एक वर्ष की अवधि के लिए इस आशय का पेश कर स्वीकृत व तस्दीक करावे कि वह शांति एवं सद्व्यवहार बनाये रखेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा व जब भी न्यायालय तलब करेगा उपस्थित आएगा व दिये जाने वाले दण्ड को भुगतने को तैयार रहेगा तो उसे परिवीक्षा पर रिहा कर दिया जावे।

17. साथ ही अभियुक्ता परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत 1000/– रूपये अक्षरे एक हजार रूपये अभियोजन व्यय के भी न्यायालय में जमा करायेगा, जो बाद गुजरने मियाद अपील राजकोष में जमा किये जाये। अभियुक्ता की नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

18. अभियुक्ता को आदेशित किया जाता है कि वह माननीय अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत् अपने 437 ए दं0 प्र 0 सं0 के तहत दस हजार रुपये का जमानतनामा व इसी कदर राशि का मुचलका पेश कर तस्दीक करावे जो आगामी 06 माह के लिए प्रवृत्त रहेगा।

(रूपेन्द्र चौहान)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मकराना जिला डीडवाना कुचामन।

19. निर्णय एवं दंडादेश आज दिनांक 27.03.2026 को लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूपेन्द्र चौहान)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मकराना जिला डीडवाना कुचामन।